# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 15/2023

**प्रार्थी**

लादूराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

**बनाम**

**अप्रार्थीगणः–**

1. हापूराम पुत्र अमेदराम जाति मेघवाल निवासी भावी तहसील बिलाडा
2. यूको बैंक शाखा भावी तहसील बिलाडा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा।

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956**

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 3 – सरकारी पैरोकार

**निर्णय** दिनांक :– 18/12/24

संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2336 रकबा 1.8931 हैक्टेयर आई हुई है। यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2336 रकबा 1.8931 हैक्टेयर के उतरी दिशा की ओर खसरा नम्बर 2339 रकबा 0.9546 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि के पूर्वी दिशा की ओर एक माठ कायम की हुयी है जो माठ एक रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग में आ रही है। ग्राम भावी (जे.बी.) की सरहद में खसरा नम्बर 2339 रकबा 0.9546 हैक्टेयर के उतरी दिशा की ओर ग्राम भावी से ग्राम कापरड़ा जाने वाली सड़क खसरा नम्बर 2301 गैर मुमकीन रास्ता आया हुआ है, उक्त गैर मुमकीन रास्ते पर मुडिया सड़क बनी हुयी है। ग्राम भावी से ग्राम कापरड़ा जाने वाली मुडिया सड़क के ठीक दक्षिणी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2339 रकबा 0.9546 हैक्टेयर मे काश्त कार्य करने हेतु पहुचता है, इसी प्रकार प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2336 रकबा 1.8931 हेक्टेयर में काश्त कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2339 रकबा 0.9546 हेक्टेयर में स्थित मार्क ABCD स्थित आम रास्ता से होकर आते जाते है तथा इसी ABCD के रास्ते से प्रार्थी अपना ट्रेक्टर, मोटर साईकिल, छकड़ा आदि के साधन लेकर जाता है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2336 में कृषि कार्य आदि करने हेतु का यही एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 2339 के मार्क ABCD भाग के आम रास्ते को उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2336 में जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

2339 के ABCD –भाग से ही भूमि खसरा नम्बर 2336 में जाने हेतु प्रार्थी अपने ट्रेक्टर, मवेशी, छकड़ा इत्यादि लेकर जाता है। इस प्रकार प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 2339 के ABCD भाग के आम रास्ते का उपयोग कई वर्षों से उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है, इस कारण प्रार्थी को भूमि खसरा नम्बर 2339 के ABCD भाग के रास्ते को राजकीय रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 2339 के ABCD भाग के आम रास्ते का उपयोग कई वर्षों से उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। भूमि खसरा नम्बर 2339 के ABCD भाग की भूमि पर चल रहे आम रास्ते को अप्रार्थी बन्द करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी को आम रास्ते की भूमि पर अवरोध पैदा करने से नही रोका गया तो प्रार्थी को अपने खेत की बुवाई व काश्त कार्य से वंचित करने से भारी समस्या पैदा हो जायेगी, जिससे प्रार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों का जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जायेगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा। प्रार्थी का यह ABCD मार्क का रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध खसरा नम्बर 2339 के ABCD मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज कराने हेतु व नक्शा ट्रेस में रास्ते को तरमीम करवाने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 2339 रकबा 0.9546 हेक्टेयर में स्थित ABCD मार्क की 30 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है। विवादग्रस्त भूमि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना–पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार है।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2336 रकबा 1.8931 हेक्टेयर में प्रार्थी को काश्त कार्य करने के लिए जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 2339 रकबा 0.9546 हेक्टेयर के ABCD भाग से होकर रास्ता निकलता है, जो खसरा नम्बर 2336 में पहुँचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग व उपभोग में लेता है, जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किये जाने का आदेश फरमावे तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावें। खसरा नम्बर 2339 रकबा 0.9546 हेक्टेयर में स्थित ABCD मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2336 रकबा 1.8931 हैक्टेयर में स्थित आने–जाने वाले भूमि खसरा नम्बर 2339 के ABCD भाग वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध पैदा नही करे तथा न ही अपने एजेन्ट या नौकर आदि से करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्राथीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी के ग्राम भावी (जेबी) में स्थित खसरा सं. 2336 में आने जाने के लिए वर्तमान में मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अपने खेत में जाने के लिए आस–पडौस के खेतों से आना जाना करते है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि में कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं है। उक्त भूमि असिंचित है तथा डामर सडक से 2 किमी दूरी पर है। प्रार्थी के द्वारा वांछित रास्ते की भूमि खसरा सं. 2339 में से 8 बिस्वा भूमि जायेगी। जिसकी वर्तमान डीएलसी दर से दो गुणा राशि निम्नानुसार है।

| क्र. सं. | नाम खातेदार | खसरा नंबर | रकबा | रास्ता उपयोग हेतु रकबा | वर्तमान डी.एल. सी.दर | डी.एल.सी. की दो गुणा राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हापूराम पुत्र अमेदराम जाति मेघवाल | 2339 | 0.9546 हैक्टयर | हिस्सा पूर्ण 8.00 बिस्वा | 242741/ | 31420/ |

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 05.08.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी संख्या 1 को अदा करने को तैयार है। सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2336 रकबा 1.8931 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 2339 रकबा 0.9546 हैक्टयर के मार्क भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 2336 में पहुचता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक भावी के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 05.08.2024 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की दशा में प्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 05.08.2024 को इस आदेश का अभिन्न

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18/1/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा